

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या-126 / 2022

मुरारी सिंह

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14- फार्म संख्या-563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
08.05.2023	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 251 / 2016-17 में दिनांक 02.12.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है । इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 25.04.2022 को पारित आदेश जिसमें अपीलकर्ता के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रश्नगत वाद को Dismissed For Default कर दिया गया था, को पुनर्जीवित करने हेतु दायर किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को प्रस्तुत वाद को पुनर्जीवित करने के बिन्दु पर सविस्तार सुना । सुनवाई के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वाद दासर करने के पूर्व अपीलकर्ता ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (6) का अनुपालन ही नहीं किया है इसलिए प्रस्तुत वाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है ।</p>	

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 25.04.2022 को पारित आदेश जिसमें अपीलकर्ता के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रश्नगत वाद को **Dismissed For Default** कर दिया गया था, को पुनर्जीवित करने हेतु दायर किया गया है। परन्तु अपीलकर्ता द्वारा वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (6) का अनुपालन नहीं किया गया है जिससे अपीलकर्ता का अभ्यावेदन ही त्रुटिपूर्ण हो जाता है। वैसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को पुनर्जीवित करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता के इस वाद में वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करने के कारण उनके द्वारा वाद को पुनर्जीवित करने हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। ।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त